न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, I.A.S.
पत्रावली संख्या : 103/15 (प्रा0पत्र)

अनवान्

1. श्री प्रशान्त जोशी पिता डालचन्द ब्राहम्ण ना.बा.जरिये संरक्षक माता गायत्री निवासी 3/2 नोर्थ हरसिद्धि, वि.हि.प कार्यलय के सामने, इन्दौर (म.प्र.) हाल निवासी पिता के घर भरतकुमार पालीवाल तिवारी पायसा, लोधा घाटी, नाथद्धारा जिला राजसमन्द।
2. श्री मयंक पिता डालचन्द ब्राहम्ण ना.बा.जरिये संरक्षक माता गायत्री निवासी 3/2 नोर्थ हरसिद्धि, वि.हि.प कार्यलय के सामने, इन्दौर (म.प्र.) हाल निवासी पिता के घर भरतकुमार पालीवाल तिवारी पायसा, लोधा घाटी, नाथद्धारा जिला राजसमन्द।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री डालचन्द जोशी पिता कालुराम जोशी ब्राहम्ण निवासी साकरोदा तह. मावली हाल 3/2 नोर्थ हरसिद्धि, वि.हि.प कार्यलय के सामने, इन्दौर (म.प्र.)
2. श्रीमती बबुबाई उर्फ बबली बाई पत्नी कालुराम जोशी ब्राहम्ण निवासी साकरोदा हाल 3/2 नोर्थ हरसिद्धि, वि.हि.प कार्यलय के सामने, इन्दौर (म.प्र.)
3. श्री कैलाश पिता कालुराम जोशी ब्राहम्ण निवासी साकरोदा हाल 3/2 नोर्थ हरसिद्धि, वि.हि.प कार्यलय के सामने, इन्दौर (म.प्र.)
4. श्री जुगलकिशोर उर्फ दिलीप पिता कालुराम जोशी ब्राहम्ण निवासी साकरोदा हाल 3/2 नोर्थ हरसिद्धि, वि.हि.प कार्यलय के सामने, इन्दौर (म.प्र.)
5. श्री भेरूलाल उर्फ अनिल पिता कालुराम जोशी ब्राहम्ण निवासी साकरोदा हाल 3/2 नोर्थ हरसिद्धि, वि.हि.प कार्यलय के सामने, इन्दौर (म.प्र.)
6. श्री मोहनलाल पिता केसुराम जोशी ब्राहम्ण निवासी साकरोदा हाल श्री कृष्ण दुध–दही भण्डार 14 अहिल्या पलटन मेनरोड इन्दौर (म.प्र.)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली।
8. उप पंजीयक महोदय पंजीयन कार्यालय मावली तह. मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्रीमती गायत्री जोशी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री दिनेशचन्द्र पालीवाल, अधिवक्ता विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी.

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 18.12.2019

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि राजस्व ग्राम साकरोदा पटवार हल्का साकरोदा तह. मावली जिला उदयपुर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की पैतृक कृषि भूमियां स्थित है जो निम्न प्रकार है :– परिशिष्ठ अ में वर्णित आराजी नम्बर 2688, 2689, 2707, 3011, 3015, 3176/2692, 3154/2693, 3178/3010 किता 8 रकबा 13

बीघा 16 बिस्वा जिसमें प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 का संयुक्त रूप से 1/5 हक व हिस्सा बनता हैं। विपक्षी सं. 2 से 5 तक का प्रत्येक का 1/5 हक व हिस्सा बनता है जिसमें प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से सम्पूर्ण आराजीयात में से प्रत्येक का 1/15 हक व हिस्सा निहित हैं। परिशिष्ठ ब में वर्णित आराजी नम्बर 3012, 3179/3010 किता 2 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा। उक्त आराजीयात में वर्तमान जमाबन्दी नकल में मूल पुरूष कालुराम जी पिता केसुरामजी के नाम पर ही राजस्व रेकार्ड में अंकन है जबकि उनका स्वर्गवास हो गया है लेकिन कालुरामजी के उत्तराधिकारियों के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अभी तक अंकन नहीं हुआ है, उक्त आराजीयात में प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 से 5 तक का 1/2 एवं विपक्षी सं. 6 का 1/2 हक व हिस्सा है, जिसमें से प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 का 1/2 में से संयुक्त रूप से 1/5 हक व हिस्सा है जिसमें प्रार्थीगण संयुक्त रूप से सम्पूर्ण आराजीयात में से प्रत्येक का 1/30 हक व हिस्सा निहित हैं।

2. यह कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के खानदान का सजरा निम्नानुसार है :–

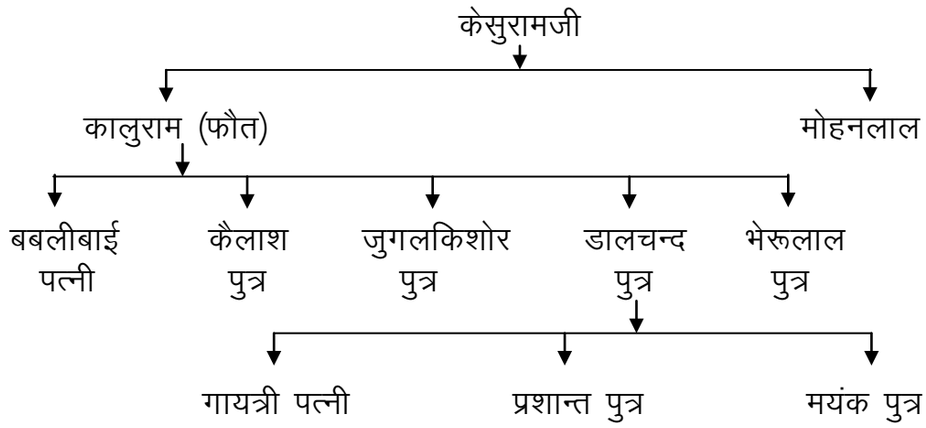

3. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमियां प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमियां हैं, उक्त कृषि भूमियां प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मौरूसी पैतृक सम्पतियां होने से प्रार्थीगण का भी उक्त सम्पतियों में हक व हिस्सा निहित हैं। यह कि विपक्षी सं. 1 डालचन्द्र प्रार्थीगण को अपने हक व हिस्से से महरूम रखना चाहते है इस कारण प्रार्थी सं. 1 एवं उसके दोनों पुत्रों को मारपीट करके अपने घर से बाहर निकाल दिया और प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमियों को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय हस्तान्तरण करना चाहता है, जिसका विरोध प्रार्थीगण द्वारा करने पर विपक्षी सं. 1 के द्वारा प्रार्थीगण को कहा कि इसमें तुम्हारा कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है और समस्त कृषि भूमियां मेरे नाम पर है इसलिए इसको मैं विक्रय हस्तान्तरण कर दूंगा, जबकि विपक्षी सं. 1 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं, चूंकि उक्त कृषि भूमियां प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मौरूसी मल्कियत की सम्पत्तिया हैं, जिसमें प्रार्थीगण का कानूनन विधि के अनुसार उतना ही हक व हिस्सा है जितना कि विपक्षी सं. 1 का हैं। विपक्षी सं. 1 प्रार्थीगण के हक व हिस्से की कृषि भूमियों को विक्रय हस्तान्तरण करने में आमादा है जबकि विपक्षी सं. 1 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण को उक्त कृषि भूमियों में अपने हक व हिस्से की घोषणा कराने की अधिकारी है और यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया हैं।

4. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमियां विपक्षी सं. 1 किसी अन्य को विक्रय हस्तान्तरण नहीं करें, इस कारण प्रार्थीगण को विपक्षी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी हैं।

5. यह कि प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है, उक्त प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने पर प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति सम्भव नहीं होगी, उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से विपक्षीगण को कोई हानि नहीं होगी। उक्त कृषि भूमियां दौराने वाद विपक्षी सं. 1 से 6 तक किसी अन्य को आगे कृषि भूमिया विक्रय हस्तान्तरण कर देगें जिससे मुकदमेंबाजी बढेगी, वाद में अनावश्यक पक्षकार बनेंगे और वाद के निस्तारण में विलम्ब होगा और प्रार्थीगण को हर क्रेता को पक्षकार बनाना पडेगा व प्रार्थीगण को न्याय प्राप्त करने से वंचित होना पडेगा। प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमियों में प्रार्थीगण के हक व हिस्से के लिए घोषणा का वाद प्रार्थीगण ने पेश किया है जिससे विपक्षी सं. 1 से 6 के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक जारी किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं।
6. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के पक्ष में विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षी सं. 1 से 6 तक प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमियों को किसी भी प्रकार से विक्रय हस्तान्तरित, रहन, बह व बक्षीस नहीं करे, न ही प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में दखलन्दाजी करें। विपक्षी सं. 8 उक्त कृषि भूमियों के विक्रय हस्तान्तरण के सम्बन्ध में कोई पंजीयन रजिस्ट्री न करे और उक्त कृषि भूमियों के राजस्व अभिलेखों में कोई परिवर्तन संशोधन नहीं करावें। ऐसा विपक्षीगण न स्वयं करे, न अपने किसी एजेन्ट या कर्मचारी से करावे, यदि दौराने वाद विपक्षीगण ऐसा कर देवे तो उनके खर्चे पर स्थिति पुनः यथावत् करवायी जावे, अन्य कोई अनुतोष माननीय न्यायालय उचित समझे मूल के निस्तारण पर दिलवायी जावें।
7. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी सं. 1 से 5 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने जो वाद पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया है वो निराधार होकर चलने योग्य नहीं है और न ही प्रार्थी सं. 1 ने आप न्यायालय में कोई वाद ही प्रस्तुत किया है प्रार्थी सं. 2 व 3 के संरक्षक के रूप में प्रार्थी सं. 1 ने वाद पत्र प्रस्तुत किया है इसके अलावा प्रार्थी सं. 1 वाद पत्र में पक्षकार नहीं हैं। प्रार्थना पत्र में अंकित कृषि भूमियों का ग्राम साकरोदा पटवार हल्का साकरोदा में स्थित होना आंशिक स्वीकार है प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के परिशिष्ठ अ में गलत आराजीयात का उल्लेख किया है एवं दोनो ही परिशिष्ठ अ व ब में हिस्से का भी अंकन गलत किया है क्योंकि सजरे के अनुसार परिशिष्ठ अ में प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 का संयुक्त रूप से 1/7 वां हिस्सा बनता है एवं परिशिष्ठ ब में प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 का संयुक्त रूप से 1/14 वां हिस्सा बनता है जो कि

विपक्षीगण के स्वामित्व व कब्जे उपयोग में हैं। विपक्षीगण ने हिस्से का अंकन गलत किया हैं।

8. प्रार्थीगण ने सजरा खानदान का अंकन गलत किया है विपक्षी सं. 1 की दो बहने भी मौजुद है जिन्हे प्रार्थीगण ने पक्षकार नहीं बनाया है और न ही सजरा खानदान में ही बताया है एवं बहनों की विरासत नहीं होने से जमाबन्दी में नाम का अंकन होने से रह गया है परन्तु उनका भी हक हिस्सा प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमियों में निहित हैं। जो कि आवश्यक पक्षकार भी है एवं प्रार्थीगण ने उन्हे पक्षकार भी नही बनाया है और यह तथ्य भी प्रार्थीगण ने न्यायालय से छिपाया हैं। सही सजरा निम्न प्रकार है :–

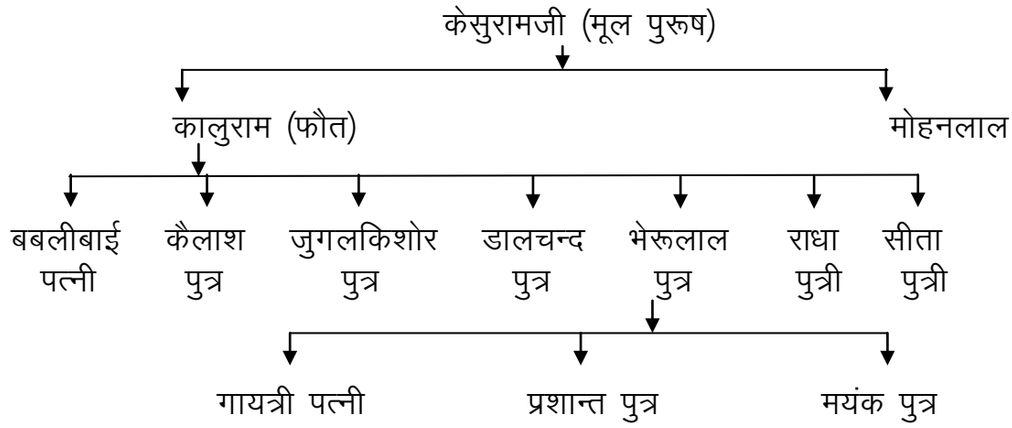

9. विपक्षी सं. 1 ने कभी भी अपने पुत्रों के साथ रहने से मना नहीं किया और न ही कभी मारपीट करके घर से निकाला है बल्कि प्रार्थी सं. 2 व 3 की मां प्रार्थी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं. 1 की पत्नी झगडालु प्रवृति की होकर आये दिन घर से झगडा करके घर से निकल जाती है एवं अपने पीहर वालों के सिखावे में आकर पीहर चली जाती है सारे तथ्यों का अंकन गलत किया है एवं प्रार्थीगण के साथ मारपीट कर घर से निकाल देने की बात ही गलत है और न ही विपक्षी सं. 1 ने कभी भी कृषि भूमियों के बेचान की धमकी ही दी हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार मिताक्षरा विधि से प्रार्थी सं. 1 का कोई हक हिस्सा वादग्रस्त आराजीयात में नहीं बनता हैं। मिताक्षरा विधि के अनुसार मृतक के पुत्र, पुत्री, मृतक के मृतक पुत्र की विधवा मृतक, मृतक पुत्र के पुत्र, पुत्री अर्थात् पोत्र, पोत्री मृतक के मृतक पुत्री के पुत्र, पुत्री अर्थात् नाती, नातीन इत्यादि का हिस्सा बताया परन्तु मृतक के पुत्र की सधवा पत्नी का हिस्सा नहीं माना है और प्रार्थी सं. 1 का पति विपक्षी सं. 1 जीवित है ऐसी स्थिति में प्रार्थी सं. 1 का कोई हिस्सा विवादित आराजीयात में नहीं बनता हैं।
10. विपक्षीगण के स्वयं के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमियों को उसके हक हिस्से तक बेचान करने उस पर ऋण लेने रहन, बैह, बक्षीस करने एवं हस्तान्तरित करने का पूरा अधिकार है उसे उससे प्रतिबन्धित नहीं किया जा सकता है और न ही प्रार्थीगण अपने पक्ष में किसी प्रकार की कोई घोषणा कराने के अधिकारी ही हैं। विपक्षी सं. 1 ने कभी भी कोई धमकी नहीं दी की वो कृषि भूमियों का विक्रय से हस्तान्तरण कर देगा एवं प्रार्थीगण विपक्षी सं. 1 के विरूद्व किसी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी नहीं हैं।
11. प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला नहीं हैं। प्रार्थीयां, विपक्षी सं. 1 से झगडा करके अपने पीहर नाथद्वारा चली आई जबकि विपक्षी ने प्रार्थीयां को अपने साथ इन्दौर में रखकर

एल.एल.बी. तक पढाई करवाई है कमाने खाने लायक बनाया हैं। प्रार्थीयां का पिता नाथद्वारा में वकालात करता और उसका ऑफिस सम्भालने वाला कोई नहीं होने से प्रार्थीयां के पिता ने बहला फुसला कर नाथद्वारा शिफ्ट करा दिया एवं विपक्षी सं. 1 को हैरान परेशान करने के लिए भरण पोषण का प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश कर दिया जो प्रार्थीयां ही हद तक खारीज कर दिया गया। प्रार्थीयां का बडा पुत्र विपक्षी सं. 1 के साथ भी रहता है एवं कभी–कभी नाथद्वारा आता जाता है। प्रार्थीगण के पक्ष में कोई सुविधा संतुलन नहीं है बल्कि विपक्षी के पक्ष में हैं प्रार्थीयां केवल और केवल हैरान परेशान करना चाहती है विपक्षी अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं। दे.दे.वि.वि. इन्दौर में संविदा पर काम करता है विपक्षी को असुविधा हो रही हैं और न ही प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई अपुर्णीय क्षति ही होगी बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने से विपक्षीगण को नुकसान होगा एवं प्रार्थीगण विपक्षी सं. 1 से 6 के हिस्से में से किसी प्रकार का कोई अधिकार एवं स्वत्व नहीं रखते हैं तो उनके विरूद्व कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी ही है और न ही प्रार्थीगण उन्हे अपने हिस्से की भूमियों को हस्तान्तरित करने से वंचित नहीं कर सकते हैं।

12. प्रार्थना प्रार्थीगण की अस्वीकार होकर खारिज योग्य है एवं प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र का कारण उत्पन्न होने अथवा कब उत्पन्न हुआ इसका भी कोई उल्लेख नहीं किया है एवं जब प्रार्थना पत्र का कोई कारण ही उत्पन्न नहीं हुआ है तो प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरूद्व किसी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी नहीं है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।
13. विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में विपक्षी सं. 6 को गलत पक्षकार बनाया है विपक्षीगण सं. 1 से 5 व 6 के मध्य विपक्षीगण 1 से 5 के पिता के जीवित अवस्था में बंटवारा हो चुका है एवं विपक्षी 6 की बंटवारा सुदा आराजीयात को स्वतन्त्र खातेदारी अधिकार मिल चुके है प्रार्थीयां अपने पति के साथ पुरे परिवार को यहां तक कि अपने काका ससुर तक को हैरान परेशान करना चाहती है जबकि विपक्षी सं. 6 का इससे कोई लेना देना नहीं हैं। उसकी आराजीयात अलग हो स्वतन्त्र खातेदारी में दर्ज हो चुकी है। प्रार्थीयां वाद पत्र में पक्षकार नहीं है इसलिए भी प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं हैं।
14. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को सुना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि प्रतिवादी डालचन्द के विरूद्व उसके हिस्से तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं है, शेष के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जावें। नामान्तरकरण में दो भुआओं का नाम नहीं जोडा हैं। इसलिए भुआओं का हिस्सा छोडते हुए डालचन्द के हिस्से पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने पर सहमति व्यक्त की हैं।
15. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 1 से 5 के नाम पर दर्ज हैं जो जमाबन्दी से स्पष्ट है। प्रार्थीगण विपक्षी सं. 1 के पुत्र हैं। प्रार्थीगण द्वारा अपनी पैतृक सम्पति में हिस्से की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थीगण के कथनानुसार भूमि पैतृक होने से प्रार्थीगणों का जन्म से ही अधिकार होना बताया हैं। प्रार्थीगण विपक्षी सं. 1 से अपने हिस्से की मांग कर रहे हैं। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला विपक्षी सं. 1 के मुकाबले ही प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में आंशिक निर्णित किया जाता है।
2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि में विपक्षी सं. 1 से 5 खातेदार हैं। प्रार्थीगण द्वारा अपनी पैतृक भूमि में हिस्से की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में आंशिक साबित हुआ हैं। इसलिए उक्त बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में आंशिक साबित होता हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में आंशिक निर्णित किया जाता हैं।
3. *अपूरणीय क्षति–* चूंकि प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक भूमि होना बताया हैं। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा चाहता हैं। प्रकरण में विपक्षी सं. 1 प्रार्थीगण का पिता हैं। अगर भूमि को विपक्षी सं. 1 खुर्द–बुर्द कर देता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में आंशिक निर्णित हुए हैं। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में आंशिक निर्णित किया जाता है।

16. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्व घोषणा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के विपक्षी सं. 1 से 5 खातेदार हैं। प्रार्थीगण विपक्षी सं. 1 के पुत्र हैं। विपक्षीगण की ओर से उक्त भूमि पैतृक नहीं होने का कोई खण्डन नहीं किया हैं। विपक्षीगण को उक्त भूमि उनके मौरूस कालुराम से प्राप्त हुई हैं। विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में उजर किया है कि कालुराम जी के चार पुत्र दो पुत्रीया व एक पत्नी होने से विपक्षी सं. 1 का उक्त भूमि में 1/7 वां हिस्सा हैं। इसलिए अगर 1/7 हिस्सेनुसार विपक्षी सं. 1 के विरूद्व ही अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इसमें विपक्षीगण को कोई आपत्ति नहीं हैं। प्रार्थीगण विपक्षी सं. 1 के पुत्र है, इस तथ्य को विपक्षीगण द्वारा स्वीकार किया हैं। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एव बहस में कथन किया कि कालुराम जी के मरने पर विरासत से भूमि विपक्षी सं. 1 से 5 के नाम ही दर्ज कराई हैं। विपक्षी सं. 1 ने अपनी बहनो का कोई नाम विरासत से दर्ज नहीं करवाया हैं। राजस्व रेकार्ड में भी इनका नाम दर्ज नहीं होकर विपक्षी सं. 1 का 1/5 वां हिस्सा हैं। उक्त कथन जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट भी होते हैं। प्रार्थीगण विपक्षी सं. 1 के पुत्र है। इसलिए भूमि में प्रार्थीगण केवल विपक्षी सं. 1 के विरूद्व ही किसी प्रकार की कोई दाद प्राप्त करने के अधिकारी हैं। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में विपक्षी सं. 1 के मुकाबले ही निर्णित हुवे हैं। चूंकि वर्तमान में जमाबन्दी अनुसार विपक्षी सं. 1 का कालुराम जी की भूमि में 1/5 हिस्सा होकर इसी अनुसार दर्ज हुआ हैं। इसलिए प्रथम दृष्टया रेकार्ड अनुसार विपक्षी सं. 1 का 1/5 वां हिस्सा ही माना जा सकता हैं। यदि विपक्षी सं. 1 की बहनों को कोई आपत्ति है तो वे इस प्रकरण में पक्षकार बनते हुए न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु स्वतन्त्र हैं। यदि विपक्षी सं. 1 को पाबंद नहीं किया जाता है तो प्रार्थीगण के हितो पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा भी विपक्षी सं. 1 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने हेतु कोई एतराज नहीं किया। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य

सबूत आदि से तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा साकरोदा पटवार हल्का साकरोदा के परिशिष्ठ अ में वर्णित आराजी नम्बर 2688, 2689, 2707, 3011, 3015, 3176/2692, 3154/2693, 3178/3010 किता 8 रकबा 13 बीघा 16 बिस्वा एवं परिशिष्ठ ब में वर्णित आराजी नम्बर 3012, 3179/3010 किता 2 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा भूमि में विपक्षी सं. 1 राजस्व रेकार्ड में अंकित अपने हिस्से तक की भूमि में राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2020.01.09 17:56:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: